

JANUARY 2012							FEBRUARY 2012						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
30	31					1			1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29				

जागीरदारी व्यवस्था

032-334 • WEEK 05

Appointments - Meetings

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

जागीरदारी व्यवस्था से का मनसबदारी प्रथा से घनिष्ठ संबंध था। उल्लेखनीय मनसबदारों को वेतन एवं अन्य प्रशासनिक कोष के मुहाने के लिए जागीरों का आवंटन किया जाता था। जागीर एक निश्चित सुरक्षा की अंश से जागीरदार को लगान एवं अन्य करों की वसूली का अधिकार होता था।

इसी धन से वह अपना वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्च प्राप्त करता था। यह उल्लेखनीय है कि जागीर में मूत्रि का आवंटन केवल इस सीमित अर्थ में होता था कि इस मूत्रि से लगान की वसूली जागीरदार कर सकता था। अथवा मूत्रि पर इसका किसी स्वाभाविक नही प्राप्त होता था।

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

जागीरें अनेक प्रकार की होती थी। सामान्यतः जागीरदारों को वेतन आदि के मुहाने के लिए जो जागीरें प्रदान की जाती थी, उन्हें तनख्वाह जागीर कहते थे।

इसमें मूत्रि पर स्वाभाविक शामिल नहीं था। प्रशासनिक नियंत्रण भी सीमित था और यह जागीरें वंशानुगत भी नहीं होती थी बल्कि इनके अधिकारियों का सामान्यतः प्रत्येक तीन-चार वर्षों में स्वयंसेवा कर दिया जाता था।

Evening

उनके विपरीत वतन जागीरें भी जो वंशानुगत होती थी। अतः इनके अधिकारियों का स्वयंसेवा भी नहीं होता था। ऐसी जागीरें सामान्यतः अधीनस्थ शासकों के राज्य पर आधारित होती थी। अतः इनमें प्रशासनिक नियंत्रण और स्वयंसेवा भी उक्त शासक का होता था।

PRIORITIES

आरम्भ में यह वतन जागीरें अकबर के केवल राजपूत शासकों को प्रदान की थी। बाद में अन्य वंशानुगत शासकों को भी वतन अनुदान मिलने लगे।

MARCH 2012							APRIL 2012						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4	30						1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29

02

THURSDAY

FEBRUARY 2012

Appointments - Meetings

033333 • WEEK

8.00 एक अन्य बेणी पुरस्काररूपी जागीरों को भी, जिन्हें इनाम जागीर या अलतमगा जागीर कहते थे। इसी जागीर लेन के रूप में नहीं दी जाती थी और न ही इनके मालिकों को प्रशासनिक दायित्व दिए जाते थे।

9.00

10.00 जहाँगीर में ऐसे ही जागीरों को पंशानुगत अनुदानों में परिवर्तित कर दिया। ऐसे अनुदान अलतमगा कहलाते थे और सत्राट की स्वर्णिम मुहर के साथ प्रदान किये जाते थे। विशेष परिस्थितियों में मशरूफ जागीर भी प्रदान की जाती थी।

11.00

12.00

1.00 आवश्यकतानुसार जागीर मूजि को खालसा में परिवर्तित किया जा सकता था। ऐसी जागीर मूजि जो अरवाड़ा रूप में प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी, पैसाकी कहलाती थी।

2.00

3.00 आवश्यकतानुसार इसी पैसाकी मूजि का उपयोग नयी जागीर प्रदान करने या प्रदेत जागीरों के क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया जाता था।

4.00

5.00 जागीर के आमदनी में मुख्यतः लगान, व्यापारिक चुंगी, घाट, और पत्तों पर लगानेवाली चुंगी एवं अन्य विविध उपकर शामिल थे जो संदे-सिंहान कहलाते थे।

6.00

7.00 इस समस्त आमदनी के अनुमानित राशि को जमादानी कहते थे, जबकि जागीर से प्राप्त वारसविक आमदनी को हारिसलदानी कहते थे।

Evening

सामान्यतः दोगा में कुछ अंतर होता था, महर अकबर के बाद यह अंतर निरंतर बढ़ता गया और इसके कारण जागीरदारी व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ।

MAR
APR
MAY
JUN